दिनांक–25.07.2024 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश :

दिनांक–25.07.2024 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा सभी जिलों के समाहर्त्ता एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में विडियो क्रॉफ्रेसिंग के माध्यम से की गई।

बैठक में राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के आलोक में निर्धारित विषय के अनुसार समीक्षा की गई तथा प्राप्त प्रतिवेदन पर समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) नवनियोजित कर्मियों को जिला स्तरीय योगदान एवं प्रशिक्षण की समीक्षाः– प्रतिवेदित किया गया कि कुल नवनियोजित 9888 कर्मियों में 8791 कर्मियों द्वारा नियोजन पत्र प्राप्त किया गया है एवं 8104 कर्मियों द्वारा योगदान समर्पित किया गया है, इनमें विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की संख्या सबसे कम है। राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बताया गया कि RSTI, पटना में स0ब0प0, RSTI, बोधगया में कानूनगो तथा सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण अमीनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन लिंक मुद्रित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। स0ब0प0 एवं कानूनगो को नालंदा में तथा अमीनों को अपने जिला अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह भी बताया गया कि सभी जिलों को प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के लिए 4 करोड़ 79 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

निदेशित किया गया कि जिन जिलों में बहुत कम नवनियोजित कर्मियों द्वारा योगदान दिया गया है वहाँ दूसरे जिलों से कर्मियों का स्थानांतरण कर समानुपातिक रूप से कार्य के अनुरूप कर्मियों का पदस्थापन किया जाय। जिला स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सभी समाहर्त्ता एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाय।

(ii) नवनियोजित कर्मियों शिविरवार टैगिंगः– प्रतिवेदित किया गया कि सभी जिलों को शिविरवार टैगिंग करने से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक–24.07.2024 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिया गया है। बताया गया कि विभिन्न जिलों में यथा–अरवल, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, भोजपुर, बक्सर में नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों योगदान नहीं दिये जाने के कारण कठिनाई हो रही है।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों के समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि उनके जिले अंतर्गत जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन बन्दोबस्त पदाधिकारी के रूप में हुआ है, उन्हें अविलंब विरमित करना सुनिश्चित किया जाय। सभी जिलों को दिनांक–01.08.2024 तक सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की शिविरवार टैगिंग का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(iii) अंचल स्तरीय शिविरों की स्थापना, स्थान एवं संसाधनों की समीक्षा :– प्रतिवेदित किया गया कि सभी जिलों को शिविर स्तरीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्रति शिविर 100000/– लाख रूपये एवं क्षेत्रीय कार्य के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों को उपस्कर आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रति अमीन 3500/– रूपये की दर से आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिविर को विविध मद यथा– इंटरनेट इत्यादि पर होने वाले के लिए प्रति शिविर 10000/–रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। कुछ जिलों यथा– मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर में बन्दोबस्त कार्यालय में अन्य विभागों के कार्य करने के कारण स्थान के संबंध में कठिनाई हो रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों में जो स्थान उपलब्ध है, वह पर्याप्त नहीं है।

6

अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में नियोजित महिलाओं के द्वारा महिलाओं को मिलने वाले विशेष अवकाश को दिये जाने की मांग की जा रही है।

मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर के समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय में अवस्थित अन्य कार्यालयों को यथाशीघ्र अन्यत्र स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जिलों के समाहर्त्ताओं को बन्दोबस्त कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेशित किया गया कि शिविर के लिए जो भवन चिन्हित किये गये है, उनमें 10–50 mbps speed के इंटरनेट की सुविधा प्रदत्त की जाय एवं पानी, बिजली, शौचालय आदि की सुविधा की समीक्षा कर सभी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाय। सभी जिलों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में महिलाओं भी है, जिनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय थाना को सूचित कर दिया जाए। निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम में कार्यरत महिलाओं को विशेष अवकाश की सुविधा प्रदत्त करने के संबंध में विभाग द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सुविधा प्रदत्त की जाय।

(iv) **<u>ग्रामवार उद्घोषणा, ग्राम सभा, ग्राम अभिलेख एवं खतियानी विवरणी का संधारण</u>**:– उपर्युक्त कार्यों को जिला स्तर पर पूर्ण करने के लिए निम्नवत् समय–सीमा निर्धारित की गई :–

1. जिला स्तर पर ग्रामवार उद्घोषणा का प्रकाशन :– 05 अगस्त, 2024
2. प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम अभिलेख का संधारण :– 10 अगस्त, 2024
3. ग्राम सभा का आयोजनः– 01 अगस्त–30 अगस्त, 2024
4. प्रपत्र–5 में खतियानी विवरणी का संधारणः– 15 सितम्बर, 2024

निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों का खतियान अथवा मानचित्र अनुपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए पुराने जिले एवं रैयतों से संपर्क किया जाय एवं अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र वाले ग्रामों की सूची संधारित की जाय। यह भी बताया गया कि वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण संचालित 20 जिलों के 89 अंचलों को छोड़कर जिन अंचलों में उपर्युक्त कार्यों यथा–उद्घोषणा, ग्राम अभिलेख, ग्राम सभा एवं खतियानी विवरणी इत्यादि का कार्य वर्ष–2021 में ही पूर्ण कर लिया गया है वहाँ अविलंब ग्राम सीमा सत्यापन एवं किस्तवार का कार्य प्रारंभ किया जाय।

(v) **<u>विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित प्रचार–प्रसार</u>**:– प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित जन–जागरूकता श्रृंखला (1–13) का समाचार–पत्रों में पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। जिला स्तर पर होर्डिंग, लेखन आदि के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निदेशित किया गया कि जिलों में स्थानीय स्तर पर सूचना एवं जनसम्पर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय एवं रैयतों की ऑनलाईन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाय।

(vi) **<u>समीक्षा एवं अनुश्रवण</u>**:– निदेशित किया गया कि प्रत्येक प्रमण्डल में आयुक्त के स्तर से की जाने वाली समीक्षात्मक बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय। सभी आयुक्तों एवं समाहर्त्ताओं को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित MIS का लिंक देते हुए, उन्हें User ID एवं Password उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सभी जिलों के आई0टी0 मैनेजर को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयर एवं MIS से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

अंत में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम को एक अभियान की तरह लिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया एवं बताया गया कि सर्वे के किसी भी प्रक्रम में आने वाले विवाद को प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान किये जाने के स्थान पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर निष्पादित किये जाने की आवश्यकता है। ग्राम सीमा निर्धारण के संबंध में वास्तविक परिस्थिति के अनुसार सीमा निर्धारित किये जाने का निदेश दिया गया।

(जय सिंह) 31/7/24
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0—14/2024 13017 **पटना, दिनांक:** 31.07.2024

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0—14/2024 13017 **पटना, दिनांक:** 31.07.2024

प्रतिलिपिः सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0—14/2024 13017 **पटना, दिनांक:** 31.07.2024

प्रतिलिपिः श्री लक्ष्मण तिवारी, भा0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0—14/2024 13017 **पटना, दिनांक:** 31.07.2024

प्रतिलिपिः सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित सभी प्रमण्डल के के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0—14/2024 13017 **पटना, दिनांक:** 31.07.2024

प्रतिलिपिः— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव, 31/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0–14 / 2024....13017....पटना, दिनांक:....31.07.2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/24

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0–14 / 2024....13017....पटना, दिनांक:....31.07.2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/24

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (06) विशेष सर्वे0–14 / 2024....13017....पटना, दिनांक:....31.07.2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/24

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

20